



Neutral Citation No. - 2026:AHC:16957-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक अपील संख्या - 3475 वर्ष 2005

गेन्दन लाल

.....अपीलकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिवादी(गण)

अपीलकर्ता(ओं) के अधिवक्ता	: ए.के. श्रीवास्तव, अवधेश कुमार श्रीवास्तव, उमेश शंकर
प्रतिवादी(ओं) के अधिवक्ता	: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 46

माननीय न्यायमूर्ति सिद्धार्थ

माननीय न्यायमूर्ति जय कृष्ण उपाध्याय

1. कार्यालय रिपोर्ट दिनांक 06.09.2025 के अनुसार, एकमात्र अपीलकर्ता, गेंदन लाल, का निधन हो गया है।
2. तदनुसार, उपशमित होने के कारण अपील निरस्त की जाती है।
3. यदि अवर न्यायालय का अभिलेख प्राप्त हो गया है, तो उसे इस आदेश की प्रति सहित संबंधित न्यायालय को लौटा दिया जाए।

(जय कृष्ण उपाध्याय, न्यायमूर्ति) (सिद्धार्थ, न्यायमूर्ति)

22 जनवरी, 2026

एस.के.एस.

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"